प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>युगल पीठ</u>

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता एवं

माननीय न्यायाधीश श्री रंगनाथ चंद्राकर

विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 1011/2010

अपीलार्थीगण - 1. श्रीमती रतियावन बाई, पति स्वर्गीय झाड़ूराम आदिल, उम्र लगभग 48 वर्ष;

2. भूपेन्द्र, पिता स्वर्गीय झाड़ूराम आदिल, उम्र लगभग 24 वर्ष;

3. सुनील कुमार आदिल, पिता स्वर्गीय झाड़ूराम आदिल, उम्र लगभग 16 वर्ष;

4. कु. ममता, पिता स्वर्गीय झाड़ूराम आदिल, उम्र लगभग 24 वर्ष;

5. कु. लक्ष्मी, पिता स्वर्गीय झाड़ूराम आदिल, उम्र लगभग 18 वर्ष;

6. मंगल दास, पिता समारू राम आदिल, उम्र लगभग 74 वर्ष;

7. श्रीमती परनिया बाई, पति श्री मंगल दास आदिल, उम्र लगभग 72 वर्ष;

सभी निवासी ग्राम एवं पोस्ट नंदनी खुंदनी, पुलिस थाना नंदनी, तहसील धमधा, जिला दुर्ग छ.ग.।

8. श्रीमती डोरा @ डिकेश्वरी डहरिया, पति श्री शिव डहरिया, उम्र लगभग 26 वर्ष; निवासी. क्वार्टर क्रमांक 14-बी, रोड 33, सेक्टर-10, भिलाई नगर, पोस्ट सेक्टर-6, भिलाई, पुलिस थाना कोतवाली (सेक्टर-6), भिलाई, तहसील एवं जिला दुर्ग छ.ग.।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थीगण - 1. घनश्याम प्रसाद पिता श्री रमेश्वर प्रसाद भट्ट, उम्र लगभग

32 वर्ष; निवासी - वार्ड क्रमांक 13, काली मंदिर के पास, नंदनी, पो. एवं थाना नंदनी, तहसील धमधा, जिला दुर्ग छ.ग. वाहन चालक अशोक लीलैंड टिपर क्रमांक सी.जी.-07/सी-8462.

2. प्रसून कुमार राय, पिता श्री पी.के. राय, निवासी एमआईजी 379, पद्मनाभपुर, दुर्ग, थाना, तहसील एवं जिला दुर्ग, छ.ग. वाहन के स्वामी अशोक लीलैंड टिपर क्रमांक सी.जी.-07/सी-8462.

3. रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई सुंदरम टावर्स 45 और 46 व्हाइट्स रोड, चेन्नई 600 014 पंजीकृत कार्यालय-21, पटुलोस रोड, चेन्नई 600 002। वाहन बीमाकर्ता अशोक लीलैंड टिपर क्रमांक सी.जी.-07/सी-8462.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के तहत विविध अपील

उपस्थित:-

अपीलार्थीगण की ओर से - श्री पी.आर. पाटनकर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से - श्री एम.के. भादुड़ी तथा श्री शिवांग दुबे, अधिवक्ता।

आदेश

(18.01.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश मुख्य न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता द्वारा पारित किया गया—

यह अपील दावा-कर्ताओं द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 21/2009 में दिनांक 28.04.2010 को पारित अधिनिर्णय के अंतर्गत प्रदान की गई प्रतिकर राशि में वृद्धि किए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण/दावा-कर्ताओं द्वारा, मृतक झाडूराम आदिल की दुर्भाग्यशाली विधवा, बच्चों एवं माता-पिता के रूप में, मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दिनांक 12.09.2008 को हुई मोटर दुर्घटना में उसकी मृत्यु के कारण 36,93,237/- रूपये के प्रतिकर का दावा किया गया था। इसके विरुद्ध अधिकरण द्वारा कुल 14,91,314/- रुपये की प्रतिकर राशि तथा दावा आवेदन

प्रस्तुत किए जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7% वार्षिक ब्याज सहित प्रदान की गई।

3. प्रत्यर्थी क्रमांक 3, रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन 'टिप्पर' का बीमाकर्ता है, ने भी इस अपील में अधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिकर की राशि को चुनौती देते हुए प्रत्याक्षेप दायर किया है।

4. अधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण के उपरांत यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक झाडूराम आदिल की मृत्यु दिनांक 12.09.2008 को हुई मोटर दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई थी; यह दुर्घटना पंजीयन क्रमांक सी.जी.-07-सी/8462 वाले दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन 'अशोक लीलैंड टिप्पर' के चालक द्वारा वाहन को उपेक्षापूर्वक और लापरवाही पूर्वक वाहन से चलाने के कारण हुई थी। चूंकि उक्त दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन दुर्घटना की तिथि पर रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास बीमित था और बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों के किसी भी उल्लंघन को सिद्ध नहीं कर सकी, इसलिए बीमा कंपनी दावाकर्ताओं को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. चूंकि उपरोक्त दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन अशोक लीलैंड टिप्पर के बीमाकर्ता ने अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्षों को चुनौती देते हुए आक्षेपित अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की है, और इस अपील में दायर प्रत्याक्षेप में चुनौती केवल अधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रतिकर की राशि तक ही सीमित है, अतः अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्ष अब अंतिम हो चुके हैं।

5. अधिकरण ने मृतक की आय 21,386/- रुपये प्रति माह और 2,56,632/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की। आयकर के मद में 9,663/- रुपये की कटौती करने के बाद, अधिकरण द्वारा मृतक की आय 2,46,969/- रुपये प्रति वर्ष आंकी गई। मृतक के व्यक्तिगत व्यय के लिए 2,46,969/- रुपये का 1/3 हिस्सा घटाकर, दावाकर्ताओं की आश्रितता 1,64,646/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई। 1,64,646/- रुपये की वार्षिक आश्रितता को 9 के गुणांक से गुणा करने पर, प्रतिकर की राशि 14,81,814/- रुपये बनी। अन्य मदों के तहत 9,500/- रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करते हुए, अधिकरण ने मोटर दुर्घटना में मृतक झाडूराम आदिल की मृत्यु के लिए दावाकर्ताओं को कुल 14,91,314/- रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान की। अधिकरण ने आगे निर्देश दिया कि प्रतिकर की उक्त राशि 14,91,314/- रुपये पर दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाए।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.आर. पाटनकर ने तर्क दिया कि अधिकरण ने मृतक के व्यक्तिगत व्यय के लिए आय का 1/4 हिस्सा घटाने के बजाय 1/3 हिस्सा घटाकर त्रुटी की है; कम गुणांक (9) का चयन करने में त्रुटि की है; और केवल 14,91,314/- रुपये की कम प्रतिकर राशि प्रदान करने में भी त्रुटि की है।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी क्रमांक 3, रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन अशोक लीलैंड टिप्पर के बीमाकर्ता) के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.के. भादुड़ी और श्री शिवांग दुबे ने तर्क दिया कि अधिकरण ने मृतक की आय 21,386/- रुपये निर्धारित करने में त्रुटि की है, जबकि मृत्यु के समय मृतक को केवल 16,670/- रुपये वेतन मिल रहा था; और अधिकरण ने 14,91,314/- रुपये का अत्यधिक प्रतिकर प्रदान किया है।

8. दुर्घटना की तिथि को मृतक झाडूराम आदिल की आयु लगभग 51 वर्ष थी। वह एक शासकीय स्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत थे। दावाकर्ताओं द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत मृतक झाडूराम आदिल के वेतन प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी/12), जो दुर्घटना के ठीक पिछले महीने अर्थात अगस्त 2008 का था, से पता चलता है कि मृतक का सकल वेतन 16,670/- रुपये था, जिसमें आयकर, जीआईएस आदि की कुछ कटौतियां शामिल थीं। अधिकरण ने मृतक की आय 21,386/- रुपये इस आधार पर आंकी कि यदि वह जीवित रहते, तो छठे वेतन आयोग के लागू होने के कारण उन्हें यह वेतन प्राप्त होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. सर्वोच्च न्यायालय ने '**सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं एक अन्य', जो (2009) 6 एससीसी 121** में प्रकाशित किया गया है, के मामले में इस प्रकार से मृतक की आय के निर्धारण की स्वीकार्यता पर विचार करते हुए कंडिका 45, 46 और 47 में निम्नलिखित अवधारित किया है:

> "45. अपीलार्थीयों का यह मानना तर्कसंगत नहीं है कि आय की गणना के उद्देश्य से भविष्य में होने वाले वास्तविक वेतन पुनरीक्षण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अपीलार्थीयों के इस तर्क के विपरीत कि यदि मृतक जीवित होता, तो उसे पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ मिलता, यह भी समान रूप से संभव है कि यदि उसकी मृत्यु दुर्घटना में न होती, तो खराब स्वास्थ्य या किसी अन्य दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो सकती थी, या उसकी नौकरी छूट सकती थी या वह किसी अन्य आपदा या प्रतिकूल परिस्थिति का शिकार हो सकता था। जीवन की अनिश्चितताएं बहुत अधिक हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दुर्घटना के समय ऐसे साक्ष्य मौजूद नहीं होते हैं।

46. इस मामले में, दुर्घटना और मृत्यु वर्ष 1988 में हुई थी। अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय वर्ष 1993 में दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपील का निर्णय 2007 में किया। दावा कार्यवाही और अपील का लगभग दो दशकों तक लंबित रहना एक आकस्मिक परिस्थिति है और यह अपीलार्थीयों को उन दो पुनरीक्षित वेतनमानों पर भरोसा करने का अधिकार नहीं देगा जो उक्त दो दशकों के दौरान हुए थे। यदि 1988 में दायर की गई दावा याचिका का निराकरण 1988-1989 में ही हो गया होता और यदि उच्च न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय 1989-1990 में कर दिया गया होता, तो स्पष्ट रूप से प्रतिकर का निर्धारण भविष्य के किसी पुनरीक्षित वेतनमान के संदर्भ में न होकर केवल मृत्यु के समय लागू वेतनमान के संदर्भ में किया गया होता ।

47. यदि दावाकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न कर देगा: यदि दावेदार मामले के संचालन में तत्पर रहते हैं, तो वे केवल दुर्घटना के समय लागू वेतनमानों पर ही भरोसा कर सकते हैं। लेकिन यदि वे कार्यवाही में देरी करते हैं, तो वे उन पुनरीक्षित उच्च वेतनमानों का लाभ उठा सकते हैं जो ऐसी लंबित अवधि के दौरान प्रभावी हो सकते हैं। निश्चित रूप से, तत्परता को इस तरह से दंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए, हम इस तर्क को खारिज करते हैं कि प्रतिकर की गणना के लिए आय निर्धारित करने के उद्देश्य से, मृत्यु के बाद और अंतिम सुनवाई से पहले होने वाले वेतनमान के पुनरीक्षण को दृष्टगत रखा जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. चूंकि दुर्घटना के ठीक पिछले महीने में मृतक को केवल 16,670/- रुपये का सकल वेतन प्राप्त हुआ था, अतः सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण को उसकी आय का आकलन उस वास्तविक वेतन के आधार पर करना चाहिए था जो उसे दुर्घटना के ठीक पिछले महीने प्राप्त हुआ था, न कि उस वेतन के आधार पर जो उसे जीवित रहने की स्थिति में भविष्य में प्राप्त होता।

11. अतः, हम मृतक की आय 16,000/- रुपये प्रति माह मानकर प्रतिकर की पुनर्गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।

12. हमें अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत इस तर्क में सार प्रतीत होता है कि अधिकरण को मृतक के व्यक्तिगत व्यय के लिए सामान्य 1/3 की कटौती के स्थान पर आय का केवल 1/4 हिस्सा ही काटना चाहिए था। इसलिए, मृतक के व्यक्तिगत व्यय के लिए 16,000/- रुपये से 1/4 घटाकर

दावाकर्ताओं की आश्रितता 12,000/- रुपये प्रति माह निर्धारित की जाती है। इस प्रकार, दावाकर्ताओं की वार्षिक आश्रितता 12,000/- रुपये x 12 = 1,44,000/- रुपये होगी।

13. दुर्घटना की तिथि पर मृतक झाडूराम आदिल की आयु लगभग 51 वर्ष थी। '**सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं एक अन्य', (2009) 6 एससीसी 121** में प्रकाशित किए गए मामले में सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत 51-55 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 11 का गुणांक निर्धारित करता है। अतः, अधिकरण को 9 के स्थान पर 11 का गुणांक लागू करना चाहिए था।

14. 1,44,000/- रुपये की वार्षिक आश्रितता को 11 के गुणांक से गुणा करने पर प्रतिकर की राशि 15,84,000/- रुपये बनती है। दावाकर्ता इसके अतिरिक्त अंत्येष्टि व्यय के लिए 5,000/- रुपये; संपदा की हानि के लिए 5,000/- रुपये; और विधवा के लिए साहचर्य की हानि के लिए 5,000/- रुपये प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार, दावाकर्ता मोटर दुर्घटना में मृतक झाडूराम आदिल की मृत्यु के लिए प्रतिकर के रूप में कुल 15,99,000/- रुपये प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि अधिकरण के समक्ष इस बात पर भविष्य में होने वाले किसी भी संभावित विवाद से बचने के लिए कि दावाकर्ता बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर कितनी अवधि के लिए ब्याज पाने के हकदार हैं, बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर ब्याज की मात्रा इसी अपील में निर्धारित कर दी जाए।

16. मामले के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करते हुए, जिसमें दावा याचिका और वर्तमान अपील के निराकरण में हुए विलंब, तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस पूरे विलंब के लिए केवल बीमा कंपनी को ही दोष नहीं दिया जा सकता, हम 1,07,686/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर ब्याज की कुल राशि 12,314/- रुपये निर्धारित करते हैं।

17. पूर्वोक्त कारणों से, अपीलार्थियों/दावाकर्ताओं द्वारा प्रतिकर में वृद्धि के लिए दायर अपील और प्रत्यर्थी क्रमांक 3 रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से दायर प्रत्याक्षेप को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अधिकरण द्वारा प्रदान की गई 14,91,314/- रुपये की प्रतिकर राशि को बढ़ाकर 15,99,000/- रुपये किया जाता है, साथ ही 1,07,686/- रुपये की बढ़ी हुई राशि पर 12,314/- रुपये की निर्धारित ब्याज राशि भी प्रदान की जाती है।

18. प्रत्यर्थी क्रमांक 3 रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष कुल 1,20,000/- रुपये (एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) [1,07,686/-

रुपये बढ़ी हुई प्रतिकर राशि + 12,314/- रुपये बढ़ी हुई राशि पर निर्धारित ब्याज] जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है।

19. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही /-

मुख्य न्यायाधीश

सही /-

आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Vinay Awasthi , Advocate